कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

17, न्यूबेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

परिपत्र संख्या– 1434/C/कय/सर्वेक्षण /2018–19 दिनांक 01.05.2018

1. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी

उत्तर प्रदेश ।

विषय :– गन्ना सर्वेक्षण पेराई सत्र 2017–18 वास्ते पेराई सत्र 2018–19

प्रत्येक पेराई सत्र में गन्ने के सम्भावित उत्पादन को ध्यान में रखकर चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्र का निर्धारण तथा किसानों द्वारा चीनी मिलों को, की जाने वाली गन्ने की आपूर्ति की योजना तैयार की जाती है। गन्ना उत्पादन के सही आंकलन के लिए बोये गये गन्ने के क्षेत्र का सही सर्वेक्षण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्य है, जिसे पूरी शुद्धता, तत्परता एवं निष्ठा से किए जाने की आवश्यकता है। इसके प्रमुख अवयवों यथा 1–सर्वेक्षण प्रक्रिया, 2–निरीक्षण एवं अनुश्रवण, 3–बेसिक कोटा की सामयिक तैयारी, 4– सर्वेक्षण सूचियों का प्रदर्शन, 5– नये सदस्यों की भर्ती, 6– उपज बढ़ोत्तरी हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के निस्तारण, 7– प्री–कलेण्डर का प्रकाशन इत्यादि का विशेष महत्व है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय:–

1–गन्ना सर्वेक्षण की प्रकिया :–

1.1 सर्वेक्षण प्रणाली :

गन्ना सर्वेक्षण का कार्य मीट्रिक प्रणाली पर आधारित होगा तथा शत–प्रतिशत सर्वेक्षण जी.पी.एस. से किया जायेगा।

1.2 सर्वेक्षण की समय–सारणी :–

प्रथम गन्ना सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 05–05–2018 से आरम्भ कर दिनांक 30 जून, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। गन्ना सर्वेक्षण का समस्त कार्यक्रम परिशिष्ट–3 में दी गई समय–सारणी के अनुसार पूर्ण किया जायेगा।

1.3 सर्वेक्षण के लिए राजस्व अभिलेख :–

अधिकांश चीनी मिलों में राजस्व अभिलेख प्राप्त हो गये हैं, किन्तु जहां कहीं अभी तक राजस्व अभिलेख प्राप्त नहीं किये गये हैं, वहां की चीनी मिलों का दायित्व होगा कि वे सर्वेक्षण हेतु सुसंगत राजस्व अभिलेख यथा खतौनी आदि राजस्व विभाग से लेकर एक प्रति दिनांक 04–05–2018 तक अनिवार्य रूप से सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को उपलब्ध करा देंगें। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा राजस्व अभिलेख की एक प्रति सर्वे टीम को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे सर्वे टीम सर्वे के समय अपने पास अनुरक्षित रखेगी।

1.4 घोषणा पत्र की प्राप्ति अनिवार्य :

1.4.1 सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व सर्वेक्षण टीम द्वारा सभी किसानों से उनके द्वारा बोये गये गन्ना क्षेत्रफल के सम्बन्ध में परिशिष्ट–1 में निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्राप्त किये जायें। प्राप्त घोषणा पत्रों का शत–प्रतिशत सत्यापन सर्वेक्षण के समय किया जायेगा।

1.4.2. यदि किसी किसान द्वारा अपरिहार्य कारणवश घोषणा–पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सके तो सर्वेक्षण के समय घोषणा–पत्र सम्बन्धित किसानों से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा मौके पर ही इसका सत्यापन किया जाय।

1.4.3. यह स्पष्ट किया जाता है कि जो किसान घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं करायेंगे, आगामी पेराई सत्र 2018–19 में उनका सट्टा संचालित नहीं किया जायेगा। घोषणा पत्र के साथ ही यथा सम्भव गन्ना कृषक के आधार कार्ड तथा अपिरहार्य स्थिति में अन्य विकल्प यथा मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/बैक पासबुक की प्रति भी प्राप्त कर समिति कार्यालय में अनुरक्षित की जाये।

1.5 गन्ना सर्वेक्षण हेतु कार्यक्रम का निर्धारण :–

गन्ना सर्वेक्षण हेतु संयुक्त दल का गठन एवं विस्तृत कार्यक्रम का निर्धारण ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा चीनी मिल से परामर्श कर सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से एक सप्ताह पूर्व कर लिया जाय। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं इसमें लगे कर्मियों की सूचना सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे, जो अपने स्तर से समुचित मार्ग दर्शन एवं अनुश्रवण कर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करायेंगे। सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं इसमें लगे कर्मियों की सूचना की एक प्रति सम्बन्धित चीनी मिलों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। जिला गन्ना अधिकारी अपने जनपद में सर्वे जांच हेतु आने वाले अन्य अधिकारियों को भी कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध करायेगे।

1.5.1 सर्वेक्षण हेतु गठित टीमों के लिए पर्याप्त गन्ना पर्यवेक्षक उपलब्ध न होने पर परिक्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त की पूर्व स्वीकृति लेकर यथा आवश्यक गन्ना समिति के कर्मचारियों को रखा जा सकेगा जिसकी अवधि दो माह से अधिक नहीं होगी किन्तु इनका वेतन सौंपे गये कार्य के सम्पादन के सम्बन्ध में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र पर ही किया जायेगा। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम,1953 की धारा–14 (1) (ए) के अनुसार संयुक्त रूप से किए गये गन्ना सर्वेक्षण में लगने वाले समिति स्टाफ पर होने वाला व्यय सम्बन्धित चीनी मिल वहन करेगी।

1.5.2 गन्ना सर्वेक्षण के प्रयोजन हेतु प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में स्टाफ की उपलब्धता के अनुरूप 500 से 1000 हेक्टेयर तक की अस्थाई सर्किलें बनायी जायेंगी। गन्ना सर्वेक्षण टीम में एक कर्मचारी राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कर्मचारी तथा एक कर्मचारी चीनी मिल का होगा। प्रत्येक सर्किल हेतु एक सर्किल इन्चार्ज नियुक्त किया जायेगा। सर्किल इन्चार्ज राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कर्मचारी होगा । इसके साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सर्वेक्षणकर्ता द्वारा गत पेराई सत्र में जिस सर्किल का सर्वेक्षण किया गया था, वह वर्तमान पेराई सत्र में उस सर्किल का सर्वेक्षण कार्य नहीं करेगा।

1.5.3 गन्ने का मैनुअल सर्वे किये जाने की स्थिति में गन्ना सर्वेक्षण/सहायक (चेनमैन) की संख्या सर्वेक्षण टीम के अनुसार यथावश्यक ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा तय की जायेगी तथा इनके मैनुअल सर्वे किये जाने की स्थिति में चेनमैन के पारिश्रमिक के भुगतान का दायित्व उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम,1953 की धारा–14 (1) (ए) के अन्तर्गत चीनी मिल का होगा ।

1.5.4 प्रत्येक जोन में नियुक्त गन्ना विकास निरीक्षकों के साथ–साथ समिति में नियुक्त विशेष सचिव/सचिव, प्रभारी सचिव, को गन्ना सर्वेक्षण कार्य के लिए ब्लाक प्रभारी नियुक्त किया जायेगा, जो अपने पर्यवेक्षण में इस कार्य को सम्पन्न करायेंगे। जोन स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जिला स्तर पर जिला गन्ना अधिकारी एवं परिक्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त सर्वेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।

1.5.5 गन्ना सर्वेक्षण टीम में उन्हीं कर्मचारियों को रखा जायेगा, जो गन्ना सर्वेक्षण की मूलभूत जानकारी रखते हों। गन्ना सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व सर्वेक्षण टीम का मिल/जोन स्तर पर जिला गन्ना अधिकारियों के निर्देशन में प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक इस प्रशिक्षण के संयोजक होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वेक्षण नीति पेराई सत्र 2017–18 वास्ते पेराई सत्र 2018–19 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जायेगी तथा सर्वेक्षण कर्मियों की पृच्छाओं का मौके पर ही समाधान किया जायेगा। प्रशिक्षण सम्पन्न होने के उपरान्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों को एक कुश्चनेयर (Questionnaire) देकर उनकी ग्राहयता/फीडबैक भी प्राप्त किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरान्त गन्ना सर्वेक्षण हेतु आवश्यक समस्त वांछित अभिलेख/सामग्री सर्वेक्षण टीम को उपलब्ध करा दिये जायेंगें।

1.5.6. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल द्वारा टीमवार, तिथिवार, ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण कार्यक्रम का लीफलेट, पैम्पलेट, स्थानीय समाचार–पत्रों एवं

एस.एम.एस. आदि के माध्यम से विधिवत् प्रचार–प्रसार किया जायेगा, ताकि सर्वे टीम के गांव में पहुंचने की जानकारी कृषकों को हो जाय, जिससे सर्वे कार्य में उनका पूर्ण सहयोग मिल सके ।

1.6 <u>पूर्व वर्ष के सर्वेक्षण अभिलेखों की अभिरक्षा</u> :–

1.6.1 वर्तमान फसल का सर्वेक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्षो के समस्त गश्ती केन सर्वे रजिस्टर उनके कार्यालय में जमा करा लिए गये हैं । वे इस आशय का प्रमाण–पत्र जिला गन्ना अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला गन्ना अधिकारी इन अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में किसी उपयुक्त स्थान पर अनुरक्षित करेंगे, ताकि पूर्व वर्ष के आंकड़ों के आधार पर बिना प्लाटवार माप किए ही सर्वेक्षण अभिलेख तैयार करने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

गन्ना सर्वेक्षण की समाप्ति के उपरान्त मापे गये पेड़ी गन्ना के प्रजातिवार क्षेत्रफल तथा पेराई सत्र 2017–18 में मापे जा चुके प्रजातिवार पौधे गन्ने के क्षेत्रफल के तुलनात्मक आंकड़ो सहित चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/महाप्रबन्धक (गन्ना) इस आशय का एक प्रमाण–पत्र ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के माध्यमच से सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी को मिल संचालन से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगें कि पेराई सत्र 2017–18 के पौधे गन्ने एवं पेराई सत्र 2018–19 के पेड़ी गन्ने के प्रजातिवार क्षेत्रफल में कोई भिन्नता नहीं है। भविष्य में चीनी मिल संचालित हो जाने के उपरान्त यदि इन दोनों आंकड़ों में प्रजातिवार कोई भिन्नता प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित सर्वेक्षणकर्ता एवं संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/महाप्रबन्धक (गन्ना) एवं ए.ई.डी.पी. के साथ ही साथ यूनिट हेड संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानें जायेगें। उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के साथ ही साथ डाटा में छेड़छाड़ मानते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1.6.2 गत वर्ष के सर्वेक्षण से सम्बन्धित जो आंकड़े समितियों/चीनी मिलों के कम्प्यूटर में अनुरक्षित हों, उन्हें भी कम्प्यूटर सी.डी. में लेकर, उपर्युक्तानुसार जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा । इन आंकड़ों को कम्प्यूटर सी.डी. पर अनुरक्षित कर लेने के उपरान्त गत वर्ष के सर्वे डाटा को कम्प्यूटर से हटा दिया जायेगा ।

1.6.2.(अ) <u>गन्ना सूचना प्रणाली (SIS)</u>

कृषकों को गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान की सूचनाओं की शुद्धता, सुगमता से उपलब्धता एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण की दृष्टि से

विभाग में सूचना प्रणाली लागू की गई जिसमें प्रत्येक चीनी मिल में वेबसाइट, एस.एम.एस./क्वेरी एस.एम.एस., आई.वी.आर.एस. तथा हैन्ड हेल्ड कम्प्यूटर/ लिंक एच.एच.सी. सिस्टम लागू कराया गया है।

उपर्युक्त सूचना प्रणाली का लाभ गन्ना कृषकों को पहुंचाने के दृष्टिगत गन्ना सर्वेक्षण के कार्य में निम्न प्रकार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जायेगी :–

(i)–सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी किसानों से उनके द्वारा बोये गये गन्ना क्षेत्रफल के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–1) पर घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरने के सम्बन्ध में एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना भेजी जाय।

(ii)–सर्वे टीम के क्षेत्र में जाने की तिथि, सर्वे टीम के इंचार्ज के नाम व मोबाईल नम्बर की सूचना तीन दिन पूर्व एस.एम.एस. के माध्यम से कृषकों को भेजी जाय।

(iii)–सर्वेक्षण कार्य में हैन्ड हेल्ड कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाय।

(iv)–कृषकों के खेतों का सर्वे करने के उपरान्त उनके खेतों के रकबे से सम्बन्धित सूचनाएं एस.एम.एस. के माध्यम से कृषकों को भेजी जाय।

(v)–ग्रामों में सर्वे सूचियों का प्रदर्शन करने से तीन दिन पूर्व इसकी सूचना एस. एम.एस. के माध्यम से कृषकों को भेज दी जाय।

(vi)–सर्वे कार्य से सम्बन्धित आंकड़ों को चीनी मिलें अपनी वेबसाइट पर दैनिक रूप से अपलोड कराती रहेंगी तथा अन्तिम रूप से सर्वे पूर्ण होने के उपरान्त समस्त विवरण व आंकड़ें चीनी मिलें अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेगी तथा इसकी सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से कृषकों कों भेजी जायेगी।

(vii)– चीनी मिलों की वेबसाईट पर आंकड़े अद्यावधिक रहें, तद्नुसार वेब सर्वर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

1.6.2.(ब) गन्ना सर्वेक्षण में जी.पी.एस. का प्रयोग

गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण जी.पी.एस. द्वारा कराये जाने के फलस्वरूप सर्वेक्षण में पारदर्शिता व शुद्वता विगत सत्रों की अपेक्षाकृत अधिक रही है। जी.पी.एस. से सर्वे किये जाने पर समय की बचत के साथ–साथ व्यय भी कम हुआ एवं फर्जी सर्वे की सम्भावना व बिचौलियों की भूमिका में भी कमी आई। अतः पेराई सत्र 2017–18 में जो मिलें गत वर्ष किसी कारण से जी.पी.एस. सर्वे नहीं करा सकी है, उनके द्वारा भी सम्पूर्ण गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण मैनुअल पद्वति से न करके जी.पी.एस. द्वारा किया जाय।

गन्ना सर्वेक्षण जी.पी.एस. द्वारा किया जायेगा तथा सर्वेक्षण उपरान्त हैण्ड हेल्ड कम्प्यूटर(जी.पी.एस. युक्त) से चारों भुजायें नापकर सर्वे स्लिप मौके पर ही गन्ना कृषकों को उपलबध करायी जायेगी, किन्तु यदि किसी कृषक द्वारा अपने खेत के सर्वे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज करायी जाती है तो उस कृषक का मैनुअल सर्वे भी कराया जाय।

1.7 सर्वेक्षण की विधि :–

1.7.1 सर्वेक्षण कार्य राजस्व अभिलेख यथा खतौनी आदि के आधार पर प्लाटवार विभाग द्वारा निर्धारित कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन सर्वे रजिस्टर के प्रारूप पर किया जायेगा जिसकी दो प्रतियां तैयार की जायेंगी। कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कर्मचारी एवं चीनी मिल कर्मचारी द्वारा नाम सहित हस्ताक्षर किया जायेगा।

1.7.2 गन्ना सर्वेक्षण के समय खेत उसी किसान के नाम अंकित किया जायेगा, जिसके नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि अंकित हो, किन्तु रेल, राजस्व वन एवं सिंचाई विभाग द्वारा यदि किसी किसान को पट्टे पर भूमि दी गई है, तो इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर बोये गये गन्ने का सर्वेक्षण पट्टेदार के नाम किया जायेगा।

1.7.3 गन्ना सर्वेक्षण कार्य प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं को नापते हुए क्षेत्रफल का आंगणन किया जायेगा।

1.7.4 गन्ना सर्वेक्षण करते समय अन्य सूचनाओं के साथ–साथ गन्ने की प्रजातियों के नाम, फसल की दशा आदि का विवरण सही प्रकार अंकित किया जायेगा, जिसमें खेत पौधशाला अथवा प्रदर्शन के रूप में बोया गया है, तो उसका क्षेत्रफल भी अंकित किया जायेगा।

1.7.5 गन्ना सर्वेक्षण करते समय ट्रेंच विधि द्वारा बुवाई किये गये प्लाटों के विवरण को अभ्युक्ति के कालम में अंकित किया जायेगा। शरदकालीन गन्ना बुवाई वाले प्लाटों एवं सहफसली खेती भी यदि गन्ने के साथ की गयी है तो उसका विवरण भी दर्ज किया जायेगा।

1.7.6 सर्वेक्षण करते समय किसान द्वारा उपलब्ध कराये गये घोषणा पत्र का परीक्षण करके सर्वे टीम द्वारा पुष्टि की जायेगी। सर्वेक्षणकर्ता सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गये विवरण के आधार पर किसानों द्वारा उपलब्ध कराये गये घोषणा पत्र की प्रविष्टियों का भी सत्यापन करेंगे। यदि यह पाया जाता है कि घोषणा पत्र में जानबूझकर गलत प्रविष्टि दर्शायी गई है, तो परिशिष्ट–1 के नोट संख्या–3 के अनुसार कार्यवाही हेतु अलग से परिशिष्ट–4 पर सूची उपलब्ध करायेगें ।

1.7.7 सर्वेक्षण के दौरान एकत्र विवरण को ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा सम्बन्धित चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/महाप्रबन्धक(गन्ना) के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रमाणित होने के बाद गन्ना विकास परिषद में अनुरक्षित रखा जायेगा । इन प्रमाणित अभिलेखों को ही समिति/चीनी मिल में उपलब्ध कम्प्यूटर में अग्रेतर आंकड़े तैयार करने हेतु फीड किया जायेगा।

1.7.8 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक प्रत्येक शनिवार को सर्वेक्षण की समीक्षा करते हुए, रिपोर्ट जिला गन्ना अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करायेगें। जिला गन्ना अधिकारी, जोन से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर सूचना सम्बन्धित संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त को प्रत्येक सोमवार को प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त जनपद से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर सर्वेक्षण की प्रगति प्रत्येक

मंगलवार को उप गन्ना आयुक्त, सांख्यिक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगे।

2. <u>गन्ना सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण एवं अनुश्रवण</u> :–

2.1 गन्ना सर्वेक्षण का आकस्मिक निरीक्षण तथा प्रगति का अनुश्रवण समय–समय पर सम्बन्धित गन्ना समिति के अध्यक्ष, जिला गन्ना अधिकारी, क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त एवं मुख्यालय द्वारा गठित जांचदल द्वारा किया जायेगा। क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त अपना, जिला गन्ना अधिकारियों तथा परिक्षेत्र में कार्यरत अपर/सहायक सांख्यिक अधिकारियों का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। इसी प्रकार जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, विशेष सचिव/सचिव एवं ब्लाक प्रभारियों तथा अपर/सहायक सांख्यिक अधिकारियों का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त तैयार किए गये निरीक्षण कार्यक्रम की एक प्रति गन्ना आयुक्त कार्यालय (सांख्यिक अनुभाग) को प्रेषित करेगें। जिला गन्ना अधिकारी तैयार किए गये निरीक्षण कार्यक्रम की प्रति अपने कार्यालय में अनुरक्षित करते हुए, एक प्रति सम्बन्धित संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त को प्रेषित करेंगे। इसी क्रम में क्षेत्र में कार्यरत सहायक चीनी आयुक्त,खाण्डसारी निरीक्षकों को भी सर्वे जांच हेतु अधिकृत किया जाता है। इनके सर्वे जांच के लक्ष्य क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक के लक्ष्य के अनुरूप होंगें।

2.2 जिन गांवों में विगत पेराई सत्र में गन्ना सर्वे सम्बन्धी अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनकी सूची जनपदवार/परिषदवार/चीनी मिलवार तैयार की जायेगी तथा ऐसे ग्रामों में सर्वे कार्यो की जांच प्राथमिकता पर की जायेगी।

2.3 प्रत्येक चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक/यूनिट हेड तथा महाप्रबन्धक(गन्ना) भी अपने मिल क्षेत्र में गन्ना सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगें तथा वह भी सर्वे कार्यो का दैनिक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगें।

2.4 समस्त संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त द्वारा अपने परिक्षेत्र से सम्बन्धित सभी निरीक्षण अधिकारियों की संकलित सर्वे निरीक्षण रिपोर्ट पाक्षिक रूप से संयुक्त गन्ना आयुक्त (कय) को प्रेषित करेगें तथा शिथिल अधिकारियों के सम्बन्ध में आवश्यक संस्तुति भी करेगें।

2.5 **<u>गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण</u> :**

गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारी भी यथा निर्देश समय–समय पर सर्वेक्षण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

2.6 गन्ना सर्वेक्षण कार्यो का सत्यापन निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा परिशिष्ट–2 एवं 3 में दिये गये मानक के अनुसार किया जायेगा। अतः समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने लक्ष्यों की पूर्ति समयान्तर्गत सुनिश्चित करेंगे।

3– <u>सर्वेक्षण से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय बैठकें एवं सर्वेक्षण सूचियों का प्रदर्शन</u> :–

3.1 सर्वेक्षण समाप्ति के बाद कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन सर्वे रजिस्टर को दिनांक 02 जुलाई, 2018 से 05 जुलाई, 2018 के मध्य प्रत्येक ग्राम की बैठक में रखकर ग्रामवार तथा समितिवार अनुमोदन प्राप्त कर, अन्तिम किया जायेगा। सम्बन्धित गन्ना विकास निरीक्षक/ब्लाक प्रभारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

3.2 कृषकवार गन्ना सर्वेक्षण सूची का ग्रम स्तरीय प्रदर्शन 06 से 21 जुलाई, 2018 के बीच कराया जायेगा। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सर्वे प्रदर्शन का तिथिवार, ग्रामवार कार्यक्रम बनाकर सम्बन्धित को सूचित करेगें। इसके साथ ही उन किसानों की सूची भी परिशिष्ट–4 पर तैयार की जाय, जिन्हें गलत घोषणा पत्र देने के कारण गन्ना आपूर्ति से वंचित किया जाना है।

3.3 ग्रामवार प्रदर्शन की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार पैम्पलेट/समाचार पत्र आदि के माध्यम से सार्वजनिक स्थल पर किया जाय।

3.4 सर्वेक्षण सूची के प्रदर्शन के दौरान किसी कृषक का गन्ना क्षेत्रफल छूट गया है, अथवा गलत अंकित हो गया है, तो ऐसे कृषकों की शिकायत को एक पंजिका में सूचीबद्ध करते हुए, 15 दिन के अन्दर गन्ना विकास निरीक्षक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निस्तारण किया जायेगा।

3.5 ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण सूचियों के प्रदर्शन के पश्चात शिकायतों का निस्तारण करते हुए प्रत्येक गांव के प्रजातिवार पेड़ी/पौधा के क्षेत्रफल का संकलित विवरण तैयार किया जायेगा, जिस पर सम्बन्धित ब्लाक प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे।

3.6 उक्त प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त अंतिम आंकड़ों (Final Data) की एक पी.डी. एफ.(P.D.F.) फाइल तैयार कर चीनी मिल संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करेगी। संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में यह फाईल अनुरक्षित की जायेगी।

4– <u>नये सदस्यों की भर्ती</u> :–

नये सदस्य बनाने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सर्वेक्षण के दौरान आहूत ग्राम स्तरीय गोष्ठियों में नये सदस्यों का भी पंजीकरण भी कराया जायेगा। पेराई सत्र 2018–19 के लिए 30 सितम्बर, 2018 तक बनाये गये सदस्यों को ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। मृतक सदस्यों के वारिस उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम–77 से 80 एवं समिति की उपविधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत सदस्य बनाये जायेंगे। नये सदस्यों से उनकी तीन प्रतियों में पासपोर्ट साइज की फोटो, भू–अभिलेख एवं बैंक खाता नम्बर लिया जाय,जिसे समिति अभिलेखों में अनुरक्षित किया जाय।

जो नये सदस्य बनाये जायेंगे, उनके भूमि अभिलेखों का सत्यापन तहसील/एन. आई.सी. से कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट लेकर कराया जायेगा। अग्रेतर नये सदस्यों का सट्टा तभी संचालित किया जायेगा जब वह अपना बैंक खाता नम्बर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देगें।

5— <u>उपज बढोत्तरी हेतु प्रार्थना–पत्रों की प्राप्ति व निस्तारण</u> :–

5.1 प्रत्येक चीनी मिल के लिए प्रति हेक्टेयर औसत उपज काप कटिंग प्रयोगों के आधार पर जनपदवार निकाली जाती है। कुछ किसानों द्वारा यह मांग की जाती है कि उनके खेत में उत्पादकता औसत उपज से अधिक है, तथा इसके आधार पर उनकी उपज एवं कुल गन्ना उत्पादन को संशोधित करके बेसिक कोटा/सट्टे का आंकलन किया जाय। उपज बढ़ोत्तरी सम्बन्धी कृषकों के आवेदन–पत्र गन्ना सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से लेकर दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक निर्धारित शुल्क के साथ एकत्र किये जायेगें तथा प्राप्ति के कम में रजिस्टर में पंजीकृत किए जायं।

5.2 30 सितम्बर 2018 के उपरान्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक आवेदनकर्ता किसानों के उपज की शत–प्रतिशत जांच कराकर उपज के वास्तविक आंकड़े सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत करेगें। ऐसे 25 प्रतिशत, न्यूनतम् 50 प्लाटों की जिला गन्ना अधिकारी द्वारा स्वयं जांच की जायेगीं। परिषद क्षेत्र से प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच के उपरान्त अधिकतम् उपज के 10 प्रतिशत प्रकरण का सत्यापन, विशेष रूप से अधिक उपज को चिन्हित करते हुए, क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त के स्तर से किया जायेगा। क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त उपज बढ़ोत्तरी की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी होगें।

6— गन्ना सर्वेक्षण के सुचारू संपादन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारणः–

उपर्युक्त दिए गये निर्देशों के अनुसार गन्ना सर्वेक्षण कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु जोन स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जनपद स्तर पर जिला गन्ना अधिकारी एवं परिक्षेत्र स्तर पर सम्बन्धित संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त उत्तरदायी होगें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में गन्ना सर्वेक्षण का अतिमहत्वपूर्ण कार्य पूर्ण सत्यता एवं स्थलीय स्थिति के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जायेगा ।

<u>संलग्नकः– यथोक्त</u>

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या–1434/C/ कय/सर्वे/2018–19 लखनऊ:दिनांक 01.05.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त बीज उत्पादन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सचिव,/विशेष सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.सहकारी चीनी मिल संघ लि., लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
9. निदेशक, गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर।
10. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
11. अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।
12. मुख्य प्रचार अधिकारी, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, बरेली, मेरठ, लखनऊ एवं गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करायें तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें।

01.05.2018
(विश्वेश कनौजिया)
संयुक्त गन्ना आयुक्त(कय)

पृष्ठांकन संख्या–1434/C /कय/सर्वे/2018–19 लखनऊ : दिनांक 01.05.2018

उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी (गन्ना उत्पादक जनपद) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से गन्ना सर्वेक्षण कार्य पर निगरानी रखने का कष्ट करें, तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से सर्वे कार्य की रैण्डम चेकिंग कराने का भी कष्ट करें, यदि कहीं अनियमितता पायी जाती है, तो उसे अपनी देख–रेख में सही कराने की कार्यवाही करें। कृपया जांच परिणामों तथा किसानों की प्रतिकिया से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2–समस्त मण्डलायुक्त (गन्ना उत्पादक मण्डल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास,बापू भवन,लखनऊ को सूचनार्थ।

01.05.2018
(विश्वेश कनौजिया)
संयुक्त गन्ना आयुक्त(कय)

(परिशिष्ट–1)

कृषक का यूनिक खाता सं.....
बैंक खाता संख्या.....
बैंक/शाखा का नाम.....
गन्ना आपूर्ति साधन.....

गन्ना क्षेत्र के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....निवासी ग्राम.....मजरा.....
ब्लाक.....डाकघर.....थाना.....तहसील.....जनपद.....
एतद्द्वारा शपथपूर्वक घोशणा करता हूँ कि मैंने निम्नलिखित विवरण के अनुसार (पेराई सत्र) 20 –20 हेतु गन्ने की खेती की है।

क.सं.	ग्राम का नाम	मजरा का नाम	अद्यतन खतौनी उद्धरण कमांक	खाता खतौनी कम संख्या	खतौनी. में अंकित कुल क्षेत्रफल(हे.)	खतौनी में अंकित कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष कृषक का हिस्सा(हे0)	गन्ने का क्षेत्रफल(हे.)	गन्ने की प्रजाति	पेड़ी/पौधा	बुवाई की तिथि	गाटावार गन्ने के खेत की चारों भुजाओं की माप(मीटर में) एवं चौहद्दी			
											उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोटः– स्थान पर्याप्त न होने पर अलग शीट लगाकर सूचना भरी जाये। कमांक 12, 13, 14 एवं 15 में गन्ना खेत के चारों दिशाओं(चौहद्दी) के खातेदारों एवं बोयी गयी फसल/स्थिति का उल्लेख हो।

2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं सहकारी गन्ना विकास समिति लि.....का विधिक सदस्य हूँ। गन्ने की खेती गत.....वर्शों से कर रहा हूँ एवं चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति, गन्ना समिति के माध्यम से कर रहा हूँ।

3. मैं यह भी घोशणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतयः सही है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया या गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त सूचना में कोई गलती पाये जाने पर मेरे विरूद्ध गन्ना विभाग या सहकारी गन्ना विकास समिति लि. को कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समिति लि. को मेरी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार होगा।

गवाह (नाम/पिता का नाम, ग्राम का नाम)

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर
घोषणाकर्ता का नाम
घोषणाकर्ता का मो.नं.
पहचान पत्र–आधार आदि

सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

1. ....
2. ....
.....

प्राप्ति रसीद

श्री.....पुत्र/पत्नी श्री.....ग्राम.....मजरा.....ब्लाक.....
डाकघर.....थाना.....जनपद.....का गन्ना क्षेत्रफल के सम्बन्ध में घोशणा पत्र दिनांक...../...../.....को प्राप्त किया।

अधिकृत कर्मचारी.....पद.....

परिशिष्ट–2

प्रत्येक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सर्वे की जांच करने के लिए निर्धारित लक्ष्य

क0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	जांच हेतु निर्धारित न्यूनतम् लक्ष्य	निरीक्षण अवधि
1	गन्ना विकास निरीक्षक/सहायक गन्ना रक्षा निरीक्षक/सहायक परियोजना अधिकारी	200 खेत प्रति टीम न्यूनतम् 800 खेत	07 मई, 2018 से 30 जून, 2018 तक निरीक्षण कर आख्या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को सौपेगें।
2	विशेष सचिव/सचिव/सहायक सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां	200 खेत प्रति टीम, न्यूनतम् 800 खेत	07 मई, 2018 से 30 जून, 2018 तक निरीक्षण कर आख्या ज्ये0ग0 वि0नि0 को सौपेगें ।
3	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	10 प्रतिशत, न्यूनतम् 600 खेत	15 मई, 2018 से 30 जून, 2018 तक निरीक्षण कर आख्या जिला गन्ना अधिकारी को सौपेगें ।
4	जनपदीय अपर/सहायक सांख्यिक अधिकारी	प्रत्येक परिषद में 100 खेत, न्यूनतम् 500 खेत	10 मई 2018 से 30 जून, 2018 तक निरीक्षण कर आख्या जिला गन्ना अधिकारी को सौपेगें ।
5	जिला गन्ना अधिकारी	50 खेत प्रति परिषद/ न्यूनतम् 400 खेत	01 जून, 2018 से 05 जुलाई, 2018 तक निरीक्षण कर आख्या क्षेत्रीय संयुक्त/ उप गन्ना आयुक्त को सौपेगें ।
6	महाप्रबन्धक (यूनिट हेड)	150 खेत प्रति चीनी मिल	01 जून, 2018 से 05 जुलाई, 2018 तक
7	महाप्रबन्धक(गन्ना)	250 खेत प्रति चीनी मिल	01 जून, 2018 से 05 जुलाई, 2018 तक
8	क्षेत्रीय अपर/सहायक सांख्यिक अधिकारी	50 खेत प्रति परिषद, न्यूनतम् 500 खेत	01 जून, 2018 से 05 जुलाई, 2018 तक निरीक्षण कर आख्या क्षेत्रीय संयुक्त/ उप गन्ना आयुक्त को सौपेगें ।
9	क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त	25 खेत प्रति परिषद, सम्पूर्ण क्षेत्र में न्यूनतम् 250 खेत	10 जून, 2018 से 15 जुलाई, 2018 तक जांच कर आख्या सम्बन्धित नोडल अधिकारी को सौपेगें ।
10	मुख्यालय के नामित नोडल अधिकारी	50 खेत प्रति जनपद	10 जून 2018 से 15 जुलाई, 2018 तक निरीक्षण कर आख्या गन्ना आयुक्त को सौपेंगें ।

परिशिष्ट–3

सर्वेक्षण कराने हेतु निर्धारित तिथियां

क0सं0	विवरण	निर्धारित समय
1	सर्वे टीम का चयन, प्रशिक्षण, सर्वे सामग्री एवं अभिलेख उपलब्ध कराने तथा तिथिवार, ग्रामवार, प्रचार	01 मई से 03 मई 2018 तक
2	सर्वेक्षण आरम्भ करने की तिथि	05 मई, 2018 से
3	सर्वेक्षण पूर्ण करने की तिथि	30 जून, 2018 तक
4	प्रथम सर्वे कार्यालय गन्ना आयुक्त में उप गन्ना आयुक्त(सांख्यिक) को उपलब्ध कराने की तिथि।	05 जुलाई, 2018 तक
5	पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन	07 मई से 15 जुलाई, 2018 तक
6	ग्राम स्तरीय बैठकें एवं सर्वेक्षण सूची का प्रदर्शन	06 जुलाई से 21 जुलाई, 2018
7	ब्लाक प्रभारी द्वारा शिकायती पत्रों के प्राप्त करने की तिथि	06 जुलाई से 21 जुलाई, 2018 तक
8	शिकायती पत्रों के निस्तारण की तिथि	22 जुलाई से 07 अगस्त, 2018 तक
9	प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की सूचना गन्ना आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करने की तिथि	14 अगस्त, 2018

परिशिष्ट–4

किसानों की सूची जिन्हें, गलत घोषणा–पत्र देने के कारण पेराई सत्र 2018–19 में गन्ना आपूर्ति से वंचित किया जाना है

क0 सं0	किसानों का नाम /ग्राम	घोषणा–पत्र में अंकित गन्ना क्षेत्रफल (हे.)			सर्वेक्षण के दौरान पाया गया गन्ना क्षेत्रफल(हे.)		
		गन्ने की प्रजाति	पौधा	पेडी	गन्ने की प्रजाति	पौधा	पेडी
1	2	3	4	5	6	7	8

गन्ना पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

टिप्पणी :

1. सर्वेक्षण चेकिंग का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि सभी चीनी मिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी न किसी पर्यवेक्षकीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण से आच्छादित हो जाय । निरीक्षणकर्ता अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के 50 प्रतिशत ऐसे प्लाट की जांच करेगें, जिनकी उनके अधीनस्थ स्टाफ ने जांच की हो, शेष 50 प्रतिशत नये प्लाट की जांच की जायेगी ।

2. सर्वेक्षण पूर्ण कराकर सम्बन्धित कार्यालयों को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व अपने परिक्षेत्र के लिए सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का होगा । अपने जनपद/परिक्षेत्र में उक्त आख्या को प्राप्त कर गन्ना आयुक्त को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी/ संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त का होगा ।

3. सर्वेक्षण की जांच में 05 प्रतिशत से अधिक अन्तर पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा ।

4. सर्वेक्षण चेकिंग कार्यो के समय सभी गन्ना पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामों की क्रमांकवार सूची तैयार करेगें तथा पहले क्रमांक से लेकर अन्तिम क्रमांक तक सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित करेगें। सर्वप्रथम उन ग्रामों से सर्वेक्षण/चेकिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाय, जहां से गत वर्ष शिकायतें प्राप्त हुई है, उनकी एक सूची ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेगी ।

01.05.2018

(विश्वेश कनौजिया)
संयुक्त गन्ना आयुक्त(कय)